उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-2
संख्या: /पैतीस-2-2024
दिनांकः लखनऊः , 2024

अधिसूचना

साँख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के नियम 5 और 7 के साथ पठित साँख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (अधिनियम संख्या-7 सन् 2009) यथा संशोधित सन् 2017 (अधिनियम संख्या 21 सन् 2017) की धारा 3 और 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश शासन अपने नियोजन विभाग के माध्यम से एतद्द्वारा निदेश देता है कि विनिर्माण और सम्बंधित क्रियाकलापों (जिसे आगे "वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2023-24" कहा गया है) के सम्बंध में सांख्यिकी के संग्रहण पर सांख्यिकीय सर्वेक्षण नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित विवरण के अनुसार करें:-

2. औद्योगिक इकाइयॉ, राष्ट्रीय साँख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिदर्शकरण की प्रक्रिया के माध्यम से चयनित हैं। नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने ऊपर उल्लिखित निदेश के सन्दर्भ में, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र के लिये राज्य प्रतिदर्श हेतु इकाइयों के सर्वेक्षण के लिये श्रीमती मालोविका घोषाल, निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश को साँख्यिकी अधिकारी नियुक्त किया है।

3. राज्य साँख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को प्रत्येक सूचनादाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना का सत्यापन करने हेतु सुसंगत अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये और आवश्यक होने पर स्पष्टीकरण माँगने के लिये, साँख्यिकी अधिकारी की अधिकारिता में लगाया जायेगा। प्रत्येक व्यक्ति को फोटो पहचान पत्र अथवा जिला के सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्राधिकार पत्र अपने साथ रखना होगा।

4. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, 2023-24 के सम्बंध में सूचनादाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण अनुसूची के भाग-1 में संग्रहीत आँकड़ों का सम्यक सत्यापन और संवीक्षा करने के पश्चात उन्हें कार्यालय निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तर प्रदेश में कार्यरत पदाधिकारियों द्वारा संसाधित किया जायेगा। सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 तथा सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के उपबंधों के अध्यधीन, सांख्यिकीय तकनीकों के माध्यम से राज्य प्रतिदर्श के आँकड़े से उत्पन्न इकाई स्तरीय आँकड़े व रिपोर्ट, उ.प्र. के नियोजन विभाग के अर्थ एवं संख्या प्रभाग की अभिरक्षा में रखे जायें तथा उनके द्वारा सरकार के मार्गदर्शी नीति के अनुसार सरकार तथा सरकार के बाहर के प्रयोगकर्ताओं तथा आम जनमानस के प्रयोग हेतु प्रसारित किया जाय।

5. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, ए.एस.आई. 2023-24 के सम्बंध में सम्बंधित किसी कार्यकलाप जैसे सांख्यिकी संग्रहण, आँकड़ा प्रसंस्करण तथा प्रचार-प्रसार में लगे समस्त व्यक्ति साँख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 और साँख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के अधीन उपबंधों द्वारा शासित है। साँख्यिकी अधिकारी को उक्त उपधारा के (4) एवं (6) के उपबंधों के अधीन उक्त कार्य का निरीक्षण करने के लिए जिला स्तर के अर्थ एवं संख्याधिकारी तथा मण्डल स्तर के उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) व मण्डलीय अर्थ एवं संख्याधिकारी को प्राधिकृत करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी है।

6. सांख्यिकी अधिकारियों को निम्नलिखित शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं-

(क) सांख्यिकी अधिकारी उपरोक्त उल्लिखित निदेश के सम्बंध में सांख्यिकी संग्रहण के लिए कारबार संबंधी अभिलेख तथा अन्य अभिलेख के आधार पर सूचनादाताओं द्वारा दी गई किसी सूचना का सत्यापन करने तथा यथास्थिति कारखाना के स्वामी या अधिभोगी या प्रभारी व्यक्ति अथवा अधिष्ठान या प्रबन्धन जहॉ ऐसे परिसर पर ऐसा अभिलेख रखा गया है से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त/प्राधिकृत करने के लिए शक्ति प्राप्त है। सांख्यिकी अधिकारी को राज्य सरकार के प्रशासनिक

नियन्त्रणाधीन ऐसे पदाधिकारियों को भी प्रतिनियुक्त /प्राधिकृत करने के लिए शक्ति प्राप्त हैं जो उनमें से किसी कारखाना/ अधिष्ठान से सांख्यिकी संग्रहण करना चाहता हो जिसके लिए सांख्यिकी अधिकारी ने अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन किसी पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त/प्राधिकृत न किया हो।

(ख) सांख्यिकी अधिकारी को सांख्यिकी संग्रहण के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट प्रपत्र में एक माह या जो भी अवधि ठीक समझे, रिटर्न प्रस्तुत करने के लिये प्रत्येक सूचनादाता को नोटिस जारी करने के लिये शक्ति प्राप्त हैं।

अनुसूची

1. साँख्यिकी संग्रहण का विषय एवं प्रयोजन:

वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2023-24 के माध्यम से विनिर्माण प्रक्रियाओं, मरम्मत सेवाओं, गैस और जलापूर्ति तथा शीतगृह से संबंधित क्रियाकलापों सहित संगठित विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि, संघटन और संरचना से सम्बंधित सांख्यिकी संग्रहण किये जाते हैं।

2. साँख्यिकी संग्रहण के लिये भौगोलिक क्षेत्र:

उक्त आंकड़े साँख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (अधिनियम संख्या 7 सन् 2009) के अधीन उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के भौगोलिक क्षेत्र में संग्रहीत किये जायेंगे।

3. आँकड़ा संग्रह की पद्धति:

साँख्यिकी अधिकारी की अधिकारिता में स्थित प्रत्येक जिले के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपनी अधिकारिता के अधीन आने वाले सूचनादाताओं को एक नोटिस जारी किया जायेगा, जिसमें सूचना दिये जाने का दिनांक, जिसे सूचना दी जानी है, उस अधिकारी या कार्यालय का नाम और जिस इकाई या इकाइयों के सम्बंध में सूचना दी जानी है, उसका/उनका विवरण और उन प्रपत्रों, जिनमें सूचना दी जानी है, को संसूचित किया जायेगा। जिले के लिये प्राधिकृत अधिकारी ऐसी अन्य शर्तों, जैसा कि जिलो में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, के अध्यधीन सूचनादाता को सीधे विहित सूचना प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

4. सूचनादाताओं की प्रकृति जिनसे आंकड़े संग्रहीत किये जाने हैं:

सूचनादाता, कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 63 सन् 1948) के अधीन पंजीकृत कारखानों या बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 (अधिनियम संख्या 32 सन् 1966), उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (अधिनियम संख्या 26 सन् 1962), कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956), सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1960), कोऑपेरेटिव सोसायटी अधिनियम, 1912 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1912), खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, उद्योग निदेशालय (जिला उद्योग केन्द्र) के अधीन पंजीकृत अधिष्ठानों के स्वामी या अधिभोगी याप्रभारी व्यक्तिहै जिसे उपरोक्त उल्लिखित निदेश के अधीन सूचना प्रस्तुत करने के लिये सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जायेगा।

साँख्यिकी अधिकारी सम्बंधित प्रबंधन के स्वामी या अधिभोगी या प्रभारी व्यक्तिको नोटिस जारी करके राज्य या संघ क्षेत्र के भीतर चल रहे एकल प्रबंधन के अधीन दो या दो से अधिक कारखानों या अधिष्ठानों के सम्बंध में समेकित सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है यदि अलग-अलग कारखानों या अधिष्ठानों के लिये सूचना पृथक से उपलब्ध नही है।

5. साँख्यिकी संग्रहण पूरा किये जाने की अवधि:

प्रत्येक सूचना दाता द्वारा सूचना प्रस्तुत किये जाने का दिनांक नोटिस में उल्लिखित किया जायेगा किन्तु सर्वेक्षण, निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं किया जाता है तो सर्वेक्षण अवधि को दो माह तक बढ़ाया जा सकता है।

2

6. सन्दर्भ अवधि:

दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को प्रारम्भ होने वाले और दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष अथवा दिनांक 01 अप्रैल, 2023 और दिनांक 31 मार्च, 2024 के मध्य किसी भी दिनांक को किसी इकाई के समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिये सूचना प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की जायेगी।

7. संग्रहीत की जाने वाली सूचना की प्रकृति:

अपेक्षित सूचना आस्तियों और देयताओं, प्राप्तियों, व्ययों, निवेश की मदों (देशी अथवा आयातित), उत्पाद और उप-उत्पाद, वितरण संबंधी व्ययों, रोजगार तथा श्रम लागत, कार्य दिवस, कार्य किए गए कार्य दिवस, अनुपस्थितता, श्रम टर्नओवर, कार्य किए गए कार्य घंटे, आय तथा सामाजिक सुरक्षा लाभ से संबंधित है।

8. भाषा जिसमें सूचनादाता द्वारा सूचना दी जानी है:

सूचनादाता विहित प्रारूप में हिन्दी अथवा अंग्रेजी में सूचना उपलब्ध करायेगा।

9. सूचनादाताओं का दायित्व:

किसी इकाई का स्वामी या अधिभोगी, सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत जिले के अधिकारी से प्राप्त नोटिस में उल्लिखित रीति से और दिनांक तक सूचना उपलब्ध करायेगा। उसे सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथाशम्य अपेक्षित सूचना के सम्बंध में निरीक्षण के लिये सुसंगत अभिलेख भी उपलब्ध कराना चाहिये और तत्सम्बंधी प्रश्नों का उत्तर भी देना चाहिये।

10. निरीक्षण किये जाने वाले कारबार अभिलेख व अन्य अभिलेखों की प्रकृति:

किसी इकाई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के समर्थन में उस इकाई के कारबार सम्बंधी अभिलेखों यथा तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता, मस्टर रोल, उपस्थिति पंजी, श्रम पंजी, वेतन नामावली, निदेशक की रिपोर्ट, अथवा कोई अन्य विधिक दस्तावेज का निरीक्षण, सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

11. निरीक्षण की रीति:

साँख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा जिला स्तर पर प्राधिकृत अधिकारी और उसके कार्यालय का प्राधिकृत पदाधिकारी अथवा सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट मुख्यालय का कोई व्यक्ति अथवा मण्डल स्तर पर सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, इकाई के कारबार सम्बंधी अभिलेख एवं अन्य अभिलेख के आधार पर किसी इकाई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना का सत्यापन कर सकते हैं और सम्बंधित स्वामी या अधिभोगी या प्रबंधन इकाई द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति से स्पष्टीकरण मॉग सकते हैं।

आज्ञा से,

Signed by
Alok Kumar
Date: 07-10-2024 15:53:32

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

3